

## MIB CAUTIONS TV CHANNELS ON 'MISLEADING' ONLINE GAMING ADS

Amid concerns over misleading advertisements on online gaming and fantasy sports, the ministry of information and broadcasting (MIB) has issued advisory to TV channels to follow guidelines issued by the Advertising Standards Council of India (ASCI) on 24 November.

“All broadcasters are advised that the guidelines issued by ASCI are complied with and advertisements broadcast on television adhere to the guidelines of the ASCI. It may also be ensured that advertisements do not promote any activity which is prohibited by statute or law,” MIB stated.

A large number of commercials on online gaming, fantasy sports etc have been appearing on television, MIB noted in the advisory. But those ads appear to be misleading, do not correctly convey to the consumers the financial and other risks associated thereof.

Hence, MIB, along with the ministry of consumer affairs and the ministry of electronics and information technology, convened a stakeholders consultative meeting on 11 November with ASCI, News Broadcasters Association, Indian Broadcasting Foundation, All India Gaming Federation, Federation of Indian Fantasy Sports and the Online Rummy Federation.

After discussions, it was agreed that ASCI would issue appropriate guidelines for the benefit of the advertisers and broadcasters to ensure that the ads are transparent and protect consumers.

According to the recent ASCI guidelines issued on the same, no gaming advertisement may depict any person under the age of 18 years engaged in playing an online game for real money winnings, or suggest that such persons can play these games. ■

## भ्रामक ऑन लाइन खेल विज्ञापनों पर टीवी चैनलों को सावधान किया एमआईबी ने

ऑनलाइन गेमिंग और फैंटेसी खेलों पर भ्रामक विज्ञापनों को लेकर चिंतित सूचना व प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) ने 24 नवंबर को विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई) द्वारा जारी दिशानिर्देश का पालन करने के लिए टीवी चैनलों को एडवाइजरी जारी किया है। एमआईबी ने कहा 'सभी प्रसारकों को सलाह दी जाती है कि एएससीआई द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जाए और सुनिश्चित करें कि टेलीविजन पर प्रसारित विज्ञापन एएससीआई के दिशानिर्देशों का पालन करें। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि विज्ञापन ऐसे किसी भी गतिविधि को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं जो कि कानून के मुताबिक निषिद्ध किया गया है।'

ऑनलाइन गेमिंग, फैंटेसी खेल आदि पर बड़ी संख्या में विज्ञापन टेलीविजन पर दिखाई दे रहे हैं, एमआईबी के सलाहकार में इसका उल्लेख किया गया है। लेकिन ये विज्ञापन भ्रामक प्रतीत होते हैं, क्योंकि उपभोक्ताओं को इसके साथ जुड़े वित्तीय और अन्य जोखिमों के बारे में सही से नहीं बताते हैं। इसलिए एमआईबी ने उपभोक्ता मामले के मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना तकनीकी मंत्रालय के साथ मिलकर 11 नवंबर को एएससीआई, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन, ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन, फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स और ऑनलाइन रग्मी फेडरेशन के साथ हितधारकों की सलाहकार बैठक का आयोजन किया।

चर्चा के बाद यह सहमति हुई कि विज्ञापनदाताओं और प्रसारकों को यह सुनिश्चित करने के लिए एएससीआई विज्ञापन और उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उचित दिशा-निर्देश जारी करेगा।

इसी मामले पर जारी एएससीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार कोई भी गेमिंग विज्ञापन 18 वर्ष से कम आयु के किसी किसी भी व्यक्ति को वास्तविक धन जीतने के लिए ऑनलाइन गेम खेलने में शामिल नहीं कर सकता है या यह सुझाव दे सकता है कि ऐसा व्यक्ति इन खेलों को खेल सकता है। ■



Ministry of Information and Broadcasting  
Government of India



The Advertising Standards Council Of India